क्र0 सं0	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी,र
01	02	03

न्यायालय, अभिराम त्रिवेदी वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा

उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0-87/2021 राज्य बनाम नरेश यादव एवं अन्य

-:आदेश:-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-900/म.नि., दिनांक-17.07.2021 के द्वारा मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0-489/2021, दिनांक-20.06.2021, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 में जब्त आयशर ट्रेक्टर पंजीयन सं0 अंकित नहीं, चेचिस नं0-928910274482 इंजन नं0-528829168778 है को राज्यसात करने का प्रस्ताव समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0-87/2021 राज्य बनाम नरेश यादव एवं अन्य दर्ज किया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा रखे गए पक्ष को सुनवाई के उपरान्त वाद को अंगीकृत किया गया एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-58 की उप धारा-2 (15) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमानुसार वाद निष्पादन हेतु अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया है, जिस पर दिनांक-29.07.2021 से कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्राप्त प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया है कि विषयोक्त थाना कांड में जब्त आयशर ट्रेक्टर से विभिन्न ब्रांड का 2160 पीस कुल 810 लीटर विदेशी शराब बरामद करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। जब्त आयशर ट्रेक्टर को राज्यसात करने की अनुशंसा की है।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारण कर इस न्यायालय के डी0बी0 नं0-20/न्या0, दिनांक-31.07.2021 के द्वारा प्रतिवादी 01. श्री नरेश यादव, पिता देव नारायण यादव, सा0-दीनापट्टी वार्ड नं0-02, थाना-भर्राही ओ0पी0, जिला-मधेपुरा 02. श्री सुशील कुमार, पिता कामेश्वर यादव, सा0-बैतोना वार्ड नं0-11, थाना-भर्राही ओ0पी0, जिला-मधेपुरा, 03. श्री शंकर यादव, पिता खोखा यादव उर्फ अरविन्द यादव, सा0-परमानंदपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा, 04. श्री रोहित ऋषिदेव, पिता कारी ऋषिदेव, सा0-लक्ष्मिनियाँ टोला बेलो कला वार्ड नं0-01, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादी सं0-01 एवं 02 को विशेषदूत के माध्यम से दिनांक-05.08.2021 एवं 06.08.2021 को नोटिस की प्रति तामिला करवाया गया। शेष दो प्रतिवादियों को अलग-अलग पते पर निबंधित डाक के माध्यम से तामिला हेतु भेजा गया, जिसका निबंधन सं0-RF632908782IN एवं 632908779IN है। नोटिस की प्रति तामिला प्रतिवेदन प्राप्ति एवं नोटिस भेजे जाने के उपरान्त सुनवाई हेतु दिनांक-12.08.2021, 14.08.2021, 21.08.2021, 26.08.2021 एवं 02.09.2021, को तिथि निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि को केवल सरकारी पक्षकार उपस्थित हुए। प्रतिवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। दिनांक-09.09.2021 को विज्ञ उत्पाद अधिवक्ता ने प्रतिवादियों की अनुपस्थिति के कारण समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशन कराए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सुनवाई के उपरान्त आम सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने का निर्णय लिया गया। जिला विधि शाखा, मधेपुरा के पत्रांक-50, दिनांक-21.09.2021 के माध्यम से आम सूचना नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया। दिनांक-25.09.2021 को दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित हुआ है, जिसका प्रेस कतरण अभिलेख में रक्षित है। आम सूचना निर्गत हुए लगभग पन्द्रह दिन बीत चुका है। फिर भी जप्त वाहनों की विमुक्ति हेतु कोई दावेदार/प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तदोपरान्त विधिवत नोटिस तामिला मानते हुए दिनांक-07.10.2021 को एकपक्षीय सुनवाई की गई। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का पक्ष विस्तार से सुना गया। रखे गये पक्ष इस प्रकार है:-

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का कथन है कि जब्त वाहनों के लिए दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार सभी प्रक्रियाएँ अपना ली गई है। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत के बाद भी कोई दावेदार अपना दावा पेश नहीं किए है। प्रतिवादी/गाड़ी मालिक को विधिवत नोटिस तामिला कराया जा चुका है। नोटिस मामिला प्राप्ति उपरान्त सुनवाई हेतु निर्धारित की गई किसी भी तिथियों में उपस्थित नहीं हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी/गाड़ी मालिक अपने बचाव में पक्ष रखना नहीं चाहते है। एकपक्षीय सुनवाई कर वाद निस्पादन किया जा सकता है। समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशन के उपरान्त यह माना जायेगा कि प्रतिवादी/गाड़ी मालिका को इस आशय की जानकारी प्राप्त हो गई है और नियमतः नोटिस मामिला माना जा सकाता है। प्रतिवादी/गाड़ी मालिक उपस्थित नहीं होना यह दर्शाता है कि अपने उपर लगे आरोप के वे मूक रूप से स्वीकार कर रहे है, जिस कारण अपना पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर रखना नहीं चाहते है। दूसरी तरफ प्रतिवादी/गाड़ी मालिक की अनुपस्थिति इस ओर ईशारा करता है कि वे आरोप को निराधार साबित करने के लिए

समक्ष नहीं है। थाना में दर्ज प्राथमिकी से जाहिर होता है कि भर्राही ओ0पी0 में पदस्थापित श्री रामचन्द्र प्रसाद, पु0अ0नि0 सशस्त्र पुलिस बल के साथ रात्री गश्ती के दौरान जब मानिकपुर चौक पहुँचा तो गुप्त सुचना मिला कि शंकर यादव ने परमानन्दपुर से एक ट्रेक्टर के डाला पर सिमेन्ट के बोरा के नीचे छुपाकर भारी मात्रा में अवैध शराब सुशील कुमार के पास बेतौना भेजा है, और ट्रेक्टर को सुशील कुमार और नरेश यादव मोटर साईकिल से स्कॉट कर ले जा रहे है तथा ट्रैक्टर अभी चाँदनी चौक के आस-पास पहुँचा होगा। तत्पश्चात् सुचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल के साथ समय करीब 01:30 बजे रात्रि में चाँदनी चौक पर पहुँचा और पता किया तो पता चला कि दो मोटर साईकिल पर एक-एक व्यक्ति सवार और एक ट्रैक्टर बेतौना की ओर गई है। पुरी टीम के साथ जब मछबख्ड़ा चौक के पास समय करीब 02:15 बजे रात्रि में पहुँचा तो एक ट्रैक्टर एवं दो मोटर साईकिल चालक भागने लगा दोनों मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्ति को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा किन्तु ट्रैक्टर चालक अंधेरा का लाभ उठाकर भाग गया। रात्रि के समय होने के कारण आस-पास के काई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए। फलतः टीम के ही दो को स्वतंत्र गवाह बनाकर ट्रैक्टर को चेक किया गया तो पाया गया कि ट्रैक्टर पर 25 बोरा डालमिया सिमेन्ट लदा हुआ पाया तथा सिमेन्ट के नीचे विभिन्न ब्रांड के यथा मेकड्वाल विदेशी शराब से भरा 36 कार्टुन, रॉयल स्टेग कलास्कि व्हिस्की विदेशी शराब 25 कार्टुन एवं इम्पीरियर ब्लू विदेशी शराब 29 कार्टुन, इस प्रकार कुल 90 कार्टुन लगभग 810 लीटर विदेशी शराब बराम हुआ। स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत जब्ती सूची तैयार कर उस पर पकड़े के अभियुक्त एवं स्वतंत्र साक्षी से हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है। चूँकि घटना स्थल पर गिरफ्तार अभियुक्त एवं जब्त गाड़ी मालिक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गये अभियुक्त के द्वारा दर्ज कराय गये व्यान के आधार पर प्रतिवादी/गाड़ी मालिक को नोटिस किया गया, परन्तु किसी भी तिथियों में पक्ष रखने हेतु वे उपस्थित नहीं हुए है। सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण आम सूचना भी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा पेश नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है गाड़ी मालिक अपना गाड़ी विमुक्त करने के इच्छुक नहीं है या आरोप को निराधार साबित करने कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। यदि उन्हें कोई आपत्ति रहती, तो निश्चित तौर पर अपना आपत्ति न्यायालय में दर्ज कराते एवं वाहन विमुक्ति का अनुरोध करते। चूँकि वाहन से विदेशी शराब ढ़ोए जाने के क्रम में पकड़ा गया है, जिस कारण उक्त वाहन शराब ढ़ोने के उपयोग में लाये जाने के कारण धारा 56(घ) के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य है एवं उसे अधिग्रहित किया जा सकता है।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद की दलील सुनने उपरान्त अभिलेख में रक्षित कागजातों का गहन विचारण किया गया। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 (घ) एवं संशोधित अधिनियम-2018 की धारा 13(ख) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जाता है तो निम्नांकित वस्तुएँ अधिहरण की भागी होगी यथाः-किसी मादक द्रव्य या शराब ढ़ोने के लिए उपयोग में लाया गया कोई जानवर, जलयान, वाहन या अन्य सवारी।" पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव प्रतिवेदन एवं विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा दिए गये तर्क तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत जब्त आयशर ट्रैक्टर का उपयोग अवैध विदेशी शराब के ढ़ोने के लिए किया जा रहा था, जिसे घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस बल के द्वारा जब्त किया गया है।

अतः बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56(घ) एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) की परिधि के अन्तर्गत पाये जाने के कारण जब्त आयशर ट्रेक्टर पंजीयन सं0 अंकित नहीं, चेचिस नं0-928910274482 इंजन नं0-528829168778 है को अधिग्रहित करते हुए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-58 (2) के तहत राज्यसात (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक, मद्यनिषेध मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे मोटर यान निरीक्षक, मधेपुरा से जब्त आयशर ट्रैक्टर का मूल्य निर्धारण करवा कर उसे न्यूनतम जमा राशि मानते हुए निलामी करायेंगे। इस निलामी में भाग लेने वालों में से सबसे अधिक बाली लगाने वालों को ही उच्चतम मूल्य निर्धारित माना जायेगा। वाहन मालिक निलामी की प्रक्रिया में भाग लेकर उच्चतम बोली अदा कर प्रथमतः वाहन प्राप्त कर सकते है। अन्यथा उक्त वाहन उच्चतम बोली लगाने वालें को, उनसे राशि भुगतान पश्चात् उन्हें दे दी जाऐगी। निलामी की सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के उपरान्त वाहन विमुक्ति की सुचना संबंधितों को अपने स्तर से देगें। वाहन निलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवा दी जाऐगी।

उक्त आदेश से विक्षुब्ध पक्ष चाहें तो अपीलीय प्रधिकार आयुक्त उत्पाद बिहार पटना के न्यायालय

में अपील दायर कर सकते है।

इस निदेश के साथ वाद में आगे की कार्यवाही समाप्त की जाती है आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अधीक्षक, मद्यनिषध, मधेपुरा/थानाध्यक्ष, मधेपुरा (भर्राही ओ0पी0) एवं वाहन मालिक/प्रतिवादियों को भी दें तथा एक प्रति जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

Sd/-

(अभिराम त्रिवेदी)

वरीय उप समाहर्त्ता,मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

Sd/-

(अभिराम त्रिवेदी)

वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0बी0 नं0–83/न्या0, दिनांक 18-10-2021

प्रतिलिपिः प्रतिवादी 01. श्री नरेश यादव, पिता देव नारायण यादव, सा0–दीनापट्टी वार्ड नं0–02, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा 02. श्री सुशील कुमार, पिता कामेश्वर यादव, सा0–बैतोना वार्ड नं0–11, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा, 03. श्री शंकर यादव, पिता खोखा यादव उर्फ अरविन्द यादव, सा0–परमानंदपुर, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा, 04. श्री रोहित ऋषिदेव, पिता कारी ऋषिदेव, सा0–लक्ष्मिनियाँ टोला बेलो कला वार्ड नं0–01, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः थानाध्यक्ष, मधेपुरा (भर्राही ओ0पी0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, मद्यनिषेघ, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अभिराम त्रिवेदी)

वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।

16/10/21